प्र.सं. ..../ धारा / प्र.पत्र /.........................

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट मौका कमीश्नर पर आपत्ति बाबत की। पुन: रिपोर्ट तलब हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 6/2/24 को पेश हो।	
6/2/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य आदेश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। [illegible] से [illegible] है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/2/24 को पेश हो।	
12/2/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० संशोधित मौका कमीशन रिपोर्ट अप्राप्त। पुन: तलब हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका कमीशन रिपोर्ट दि. 15/2/24 को पेश हो।	
15/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० मौका कमीशन रिपोर्ट अप्राप्त। पुन: पाबन्द करें। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका कमीशन रिपोर्ट दि. 19/2/24 को पेश हो।	
19/2/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० मौका कमीशन रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी को अवलोकन कराया गया। वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट मौका कमीशन पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते आदेश दि 22/2/24 को पेश हो।	[signature]
22/2/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर स्वा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी हरविन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
122/प्रा.पत्र/2023 (आनलाईन 2023/213)	04.10.2023	22.02.2024

सियाराम मीणा पुत्र भैरूलाल उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी सिंधपुरी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बांरा

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषकः–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री नन्द सिंह
अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 700 रकबा 0.8984 है0. वाके ग्राम सूतडा पटवार मण्डल धनेश्वर तहसील तालेडा में स्थित है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1241/701 रकबा 0.8984 हैक्टे. जो ग्राम सूतडा पटवार हल्का धनेश्वर तहसील तालेडा में विस्थित है से नवीन मार्ग सृजित होगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से आपसी समझाईस व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि पर रास्ता कृषि भूमि पर पहुंच हेतु आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। वादग्रस्त आराजी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वादपत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा को आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 130 दिनांक 19.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के खसरा संख्या 700 रकबा 0.8094 हैक्टे. भूमि खातेदार सियाराम आत्मज भैरूलाल जाति मीणा निवासी सिंधपुरी बालदडा तहसील अन्ता जिला बांरा दर्ज रेकार्ड है मौके अनुसार आराजी ख.सं. 700 रकबा 0.8094 हैक्टे. भूमि असिंचित होकर चारो तरफ पत्थर की कोट लगा हुआ है। खसरा संख्या 700 रकबा 0.8094 हैक्टे. भूमि में आने–जाने का कोई रास्ता दर्ज नही है तथा संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 700 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 1241/701 रकबा 1.6592 हैक्टे. राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि में से होकर आना जाना होता है। खसरा संख्या 1241/701

रकबा 1.6592 हैक्टे. भूमि खसरा संख्या 1250/704 रास्ता से लगी हुई है संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते की चौडाई गुणा लम्बाई 10 गुणा 94 वर्गमीटर कुल 940 वर्गमीटर है। उक्त खसरा संख्या 700 की भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि नही है। किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नही है। आबादी से 200 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। उपस्थित गवाहों ने बताया कि आराजी खसरा संख्या 700 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 1241/701 में यदि रास्ता दिया जाता है तो कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित है रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 700 रकबा 0.8094 हैक्टे. वाके ग्राम सूतडा पटवार मण्डल धनेश्वर तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की खातेदारी की आराजी ख०सं० 1241/701 रकबा 1.6592 हैक्टे. में से चौडाई गुणा लम्बाई 10 गुणा 94 वर्गमीटर कुल 940 वर्गमीटर भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से चौडाई गुणा लम्बाई 10 गुणा 94 वर्गमीटर कुल 940 वर्गमीटर की एवज में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी राशि राजकोष में जमा किया जावे तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

H.Din

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा